स्टेट V/S राजेन्द्र कुमार

(2)

16/3/2018 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। नोटिश बाद तामील प्राप्त शामील पत्रावली रहे। ILR से फसल कुर्की रिर्पोट प्राप्त जिसके अनुसार खड़ी फसल को कुर्क किया जाकर हल्का पटवारी की तहवील मे सुपुर्द की गई है। फर्द कुर्की शामील पत्रावली रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार पटवारी हल्का 14 B.D. ने रिर्पोट प्रस्तुत की जिसमे हल्का पटवारी के चक 27 K.N.D. के मु० नं० 132/19 के किला नं० 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 की तादादी 12-10 बीघा कमाण्ड/ ~~अनकमाण्ड~~ भूमि जो अराजीराज है पर अप्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री जयलाल जाति जाट निवासी ने फसल रबी सम्वत 2074 मे जिन्स सरसों काश्त कर अतिचार किया है। अप्रार्थी को नोटिश जारी किया गया नोटिश बाद तामील प्राप्त हुआ। बावजूद इतला अनुपस्थित रहा है। अप्रार्थी ने किसी भी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नही कर अतिक्रमण करना स्वीकार किया जाना प्रमाणित होता है।

अत: अप्रार्थी के द्वारा चक 27 KND के मु०नं० 132/19 के किला नं० 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 मे तादादी 12-10 बीघा पर सम्वत 2074 की फसल रबी मे जिन्स सरसों काश्त करने आरोप मे अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अतिक्रमी की काश्तशुदा फसल जो पूर्व मे कुर्कशुदा है तथा हल्का पटवारी की तहवील मे सुपुर्द है को जरिये निलामी निस्तारण किया जाकर फर्द निलामी वास्ते स्वीकृति ILR के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करने हेतु लिखा जावे पत्रावली निर्णय शुमार की जावे। अतिक्रमी श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री जयलाल जाति जाट निवासी 14 BD ने चक 27 KND के मु०नं० 132/19 के किला नं० 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 के तादादी 12-10 बीघा कमाण्ड/ ~~अनकमाण्ड~~ रकबा पर सम्वत 2074 की फसल रबी मे जिन्स सरसों काश्त कर अतिचार किया है। जिसके आरोप मे शरह पड़ता लगान 1.67 @ बीघा के अनुसार 12-10 बीघा की

तहसीलदार (राजस्व)
खाजूवाला

Scanned by CamScanner

राशि रु० 44 का 50 - गुना अर्थदण्ड रू० 1044=00
अक्षरे रुपये एक हजार चवालिस मात्र से दण्डित किया जाता है। फसल निलामी व अर्थदण्ड वसूली हेतु ILR व हल्का पटवारी को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होवे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 16/3/2018 को सरेइजलास सुनाया गया।

16.3.18
तहसीलदार (राजस्व)
खाजूवाला

'घ' रजिस्टर के पृष्ठ .... पर संख्या 323 रुपये 1044/- रुपये की मांग कायम की गई।
डी.आर.ए.
खाजूवाला

पुनश्च:

21/3/18 अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार की ओर से अधिवक्ता श्री मनीराम ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली रहे। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किया गया है कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रकरण विचाराधीन है तथा स्थगन 2009 से होना अंकित किया है इस बाबत नवीनतम स्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। पत्रावली आइन्दा दिनांक 23/3/2018 को पेश होवे।

तहसीलदार (राजस्व)
खाजूवाला

23/3/2018 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महो० बीकानेर से हस्तगत प्रकरण में स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर पैरावाईज टिप्पणी आइन्दा तारीख दिनांक 17/5/18 से पूर्व भिजवाने का पत्र मय नोटिस व प्रार्थना पत्र की प्रति प्रस्तुत की शामिल पत्रावली रहे। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अन्य किसी प्रकार का दस्तावेज स्थगन आदि के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। समय दिया जाकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 27/3/2018 को पेश होवे।

तहसीलदार (राजस्व)
खाजूवाला

Scanned by CamScanner